साहित्य अकादेमी / SAHITYA AKADEMI
रवीन्द्र भवन / Rabindra Bhavan
35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001 / 35, Ferozeshah Road, New Delhi- 110001
दूरभाष / Tel: +91-11-23386626, +91-11-23387064
ई-मेल / E-mail: secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाइट / Website: http://www.sahitya-akademi.gov.in

SA. 61/20/SAA

12 March 2024

# वार्षिक साहित्य अकादेमी पुरस्कार नियम
# THE ANNUAL SAHITYA AKADEMI AWARD RULES

## 1. सामान्य

1. नियम 1(2) के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले पाँच वर्षों में साहित्य अकादेमी (इसके पश्चात् जिसे अकादेमी कहा जाएगा) द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय लेखक की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा।
**उदाहरण:** 2025 के पुरस्कार के लिए, 2019 से 2023 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
2. नियम 5(1) के अंतर्गत गठित जूरी की राय में यदि किसी भाषा में पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती तो उस वर्ष उस भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
3. पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जाएगी, जितनी अकादेमी समय-समय पर निर्धारित करेगी। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति-पत्र भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें पुस्तक के वैशिष्ट्य तथा अपनी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।
4. लेखक की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए तथा उसकी पुस्तक का प्रकाशक दुनिया में कहीं से भी हो सकता है।
5. दोहरी नागरिकता वाले लेखक पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं। प्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं।
6. साहित्य अकादेमी पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी में पुरस्कार लेखक को जीवन में केवल एक बार एक ही भाषा में दिया जाएगा।
7. पुरस्कार के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब चयन की अंतिम प्रक्रिया में कम-से-कम तीन पुस्तकें हों।

## 1. General

1. Subject to the provision of rule 1(2), there shall be an award every year for the most outstanding book by an Indian author, first published in any of the languages recognized by Sahitya Akademi (hereafter referred to as the Akademi) during the five years prior to the year, immediately preceding the year of the award.
**Illustration:** For the award of 2025, books published between 2019 and 2023 would be considered.
2. The award for any language may not be given during any year if, in the opinion of the Jury constituted in pursuance of rule 5(1), no book published in that language during the five years preceding the year of the award merits the award.
3. The award shall consist of such amount as the Akademi may from time to time decide besides a citation that brings out, briefly, the book's significance and its author's contribution to his/her language and literature.
4. The author must be of Indian nationality, and the publisher of his/her book may be from anywhere in the world.
5. Author having dual citizenship is not eligible for the award. Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin (PIO) are not eligible for the award.
6. The award in any categories of Sahitya Akademi awards shall be given to the author only once in a lifetime in one language only in that category.
7. The award will be considered only if there is minimum of three books in the final stage of selection.

## 2. पुरस्कार के लिए विचारणीयता के मानदंड

1. पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिए कृति का संबद्ध भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट योगदान होना चाहिए। पुस्तक सर्जनात्मक हो, किंतु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए:-
   (क) अनूदित कृति; अथवा
   (ख) विभिन्न लेखकों का संचयन; अथवा
   (ग) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया गया प्रबंध या शोध-कार्य; अथवा
   (घ) रीडर(संचयन); अथवा
   (ङ) ऐसे लेखक की कृति जो अकादेमी के कार्यकारी मंडल का सदस्य है; अथवा
   (च) भाषा सम्मान प्राप्तकर्ता।

2. पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की रचनाओं से तैयार नया संग्रह अथवा पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे, तथापि पुस्तक में शामिल रचनाओं का 75 प्रतिशत भाग यदि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो उस स्थिति में वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।
3. यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आप में पूर्ण हो तो वह पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।
4. लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति केवल तभी पुरस्कार के लिए विचारार्थ होगी, यदि लेखक की मृत्यु पुरस्कार के लिए निर्धारित पाँच वर्ष के भीतर या बाद में हुई हो।
   **उदाहरण:** यदि लेखक की मृत्यु वर्ष 2019 से पूर्व की हो, उस स्थिति में उसकी कृति, वर्ष 2025 के पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगी।

5. ऐसी पुस्तक/लेखक पुरस्कार के अयोग्य होगी, जिसके संबंध में कार्यकारी मंडल को विश्वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।
6. यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक पुस्तक न्यूनतम 49 पृष्ठों (कवर पृष्ठों को छोड़कर) की होनी चाहिए।
7. 1 जनवरी 2025 से पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में सभी पुरस्कारों के लिए आईएसबीएन अनिवार्य है।
8. स्व-प्रकाशन (लेखक प्रकाशक भी है) सभी पुरस्कारों के लिए विचारणीय हो सकते हैं, बशर्ते उनका आईएसबीएन हो। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें (ई-बुक) पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं।
9. दो या दो से अधिक भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें पात्र नहीं हैं। एकल भाषा में पुस्तकें (साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यता प्रदत निम्नलिखित लिपि-भाषा में) पुरस्कार के लिए विचारणीय हैं: -

   असमिया में असमिया, बाङ्ला में बाङ्ला, देवनागरी में बोडो, देवनागरी में डोगरी, रोमन में अंग्रेज़ी, गुजराती में गुजराती, देवनागरी में हिंदी, कश्मीरी में कश्मीरी, कन्नड में कन्नड, देवनागरी में कोंकणी,

## 2. Criteria of eligibility for the Award

1. In order to be eligible for the award, the book must be an outstanding contribution to the language and literature to which it belongs. The book may be creative work but must not be: -
   (a) a work of translation; or
   (b) an anthology of multiple authors; or
   (c) a treatise or research work prepared for a university degree or any examination; or
   (d) Readers; or
   (e) the work of an author who is a member of the Executive Board of the Akademi; or
   (f) a recipient of Bhasha Samman.

2. A fresh collection of writings published earlier in book form, or revised editions of books published earlier, are not eligible for the award. However, if at least 75% of the work included in a collection has been published for the first time in book form, it can be considered for the award.
3. Any section of an integrated work is complete by itself as a book can be considered for the award.
4. A posthumous publication is eligible for the award only if the author has died within the five-year period stipulated for the award or later.
   **Illustration:** An author who has died before 2019 would not be eligible for the award of 2025.

5. A book/writer shall be disqualified for the award if it is established to the satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the author.
6. As per the UNESCO guidelines, a book should be of minimum 49 pages (excluding the cover pages).
7. ISBN is mandatory for all the awards for the books first published from 1 January 2025.
8. Self-publications (author is also a publisher) can be eligible for all awards so long as they have ISBN. Electronic books (E-books) are not eligible for the award.
9. Books published in two or more languages are not eligible. Books in single language (in the following language script recognized by Sahitya Akademi) are eligible for the award: -

   Assamese in Assamese, Bengali in Bengali, Bodo in Devanagari, Dogri in Devanagari, English in Roman, Gujarati in Gujarati, Hindi in Devanagari, Kashmiri in Kashmiri, Kannada in Kannada, Konkani in

देवनागरी में मैथिली, मलयाळम् में मलयाळम्, मणिपुरी में मणिपुरी, देवनागरी में मराठी, देवनागरी में नेपाली, ओड़िआ में ओड़िआ, गुरुमुखी में पंजाबी, देवनागरी में राजस्थानी, ओल चिकी में संताली, देवनागरी में संस्कृत, फ़ारसी-अरबी में सिंधी, तमिळ् में तमिळ्, तेलुगु में तेलुगु तथा फ़ारसी-अरबी में उर्दू।

10. अकादेमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें अकादेमी पुरस्कारों के लिए विचारणीय नहीं होंगी।
11. एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें तथा एक से अधिक लेखकों के संकलन इस पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं।
12. ऐसे लेखक की पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी, जो साहित्य अकादेमी का महत्तर सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, कार्यरत कर्मचारी हो।
13. पुरस्कार केवल पुस्तक पर दिए जाएँगे, तथा साहित्य में किसी लेखक के संपूर्ण योगदान पर पुरस्कार नहीं दिए जाएँगे।

## 3. विज्ञापनों का प्रकाशन, पुस्तकों की अर्हता तथा पुस्तकों के लिए भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियाँ प्राप्त करना

(1) अकादेमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं के उन भारतीय लेखकों द्वारा लिखित उनकी श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत करने हेतु समाचार पत्रों के साथ-साथ साहित्यिक पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन करेगी।

(2) लेखकों, प्रकाशकों तथा लेखकों के शुभचिंतकों द्वारा विचारणीय पुस्तकों को अकादेमी में विचारार्थ जमा किया जा सकता है।

(3) प्रकाशक अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी भी पुस्तकें भेज सकते हैं।

(4) लेखकों द्वारा जमा की गई पुस्तकों को लेखकों, शुभचिंतकों अथवा प्रकाशकों को वापस नहीं किया जाएगा तथा पुरस्कार प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(5) छद्म नाम/उपनाम से लिखी गई कृति के संदर्भ में लेखक को स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(6) प्राप्त पुस्तकों की सूची तथा समस्त 24 भारतीय भाषाओं की सुयोग्य पुस्तकों की सूची संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के (संयोजक सहित) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादेमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य –

(क) सूची से दोनों पुस्तकें, अथवा

(ख) एक पुस्तक आधार-सूची से और दूसरी अपनी रुचि की, अथवा

(ग) दोनों पुस्तकें अपनी रुचि की चुन सकता है।

Devanagari, Maithili in Devanagari, Malayalam in Malayalam, Manipuri in Manipuri, Marathi in Devanagari, Nepali in Devanagari, Odia in Odia, Punjabi in Gurumukhi, Rajasthani in Devanagari, Santali in Ol Chiki, Sanskrit in Devanagari, Sindhi in Perso-Arabic, Tamil in Tamil, Telugu in Telugu and Urdu in Perso-Arabic.

10. The books published by the Akademi shall not be eligible for the Akademi awards.
11. Books written by multiple authors and compilations of multiple authors are not eligible for the award.
12. The book of an author who is a Fellow, former President, working staff/employee of Sahitya Akademi is not eligible.
13. The award shall be given only to the book, and there shall be no award for total contribution to literature by an author in any language recognised by the Akademi.

## 3. Publication of the advertisement, eligibility of the books and obtaining recommendations from members of the Language Advisory Board

(1) The Akademi shall every year publish advertisements in newspapers as well as in literary magazines in each of the 24 Indian languages inviting the best book by Indian writers for the award.

(2) The writers themselves, publishers and well-wishers of the writers can submit entries for the Award for the consideration of the Akademi.

(3) The publishers can send as many books as they desire.

(4) The books so submitted will not be returned to the authors, well-wishers or publishers and no correspondence will be entertained regarding the award process.

(5) For the purpose of submitting a work written under a pseudonym/pen-name, the author must submit a self-declaration.

(6) The list of books received and found eligible in all the 24 Indian languages shall be sent to all the members of the concerned Language Advisory Board (including the Convener) with a request to recommend two titles each by such date as may be specified by the Akademi. A member may select:

(a) both the titles from the list, or

(b) one title from the list and the other on his/her own, or

(c) both the titles on his / her own

## 4. प्रारंभिक पैनल तथा उसके कार्य

1. प्रारंभिक पैनल में दस निर्णायक होंगे जिनका चयन अध्यक्ष द्वारा संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा।
2. भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियाँ संकलित करके प्रत्येक निर्णायक को भेजी जाएँगी।
3. प्रत्येक निर्णायक दो पुस्तकें अनुमोदित करेगा। ये पुस्तकें पूर्ववर्ती नियम 4(2) के अनुसार भेजी गई सूची में से चुनी जा सकती हैं अथवा निर्णायक द्वारा स्वयं अपने विवेक से।

## 5. जूरी और उसके कार्य

1. प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों की संस्तुतियों पर एक त्रि-सदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त संबद्ध परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।
2. प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों द्वारा अनुशंसित पुस्तकें अकादेमी ख़रीद कर जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।
3. संयोजक, जूरी और अकादेमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप से संपन्न हो। वह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी। संयोजक की अनुपस्थिति में अकादेमी के अध्यक्ष, सामान्य परिषद् अथवा परामर्श मंडल के सदस्य को उनके स्थान पर नामित कर सकते हैं।
4. जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिए एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है। समस्त सदस्यों को बैठक में भाग लेना होगा, कोई सदस्य यदि किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो वह अपनी संस्तुति लिखित रूप में भेज सकता/सकती है। चर्चा में भाग लेने हेतु उनसे दूरभाष पर संपर्क साधा जा सकता है।

## 6. पुरस्कार की घोषणा

जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिए कार्यकारी मंडल के समक्ष रखा जाएगा। पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अंतिम चरण में चुनी गई पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जाएगी।

## 4. The Preliminary Panel and its functions

1. The Preliminary Panel shall consist of ten Referees. These Referees shall be nominated by the President after considering suggestions of the members of the Language Advisory Board concerned.
2. The recommendations received from members of the Language Advisory Board shall be compiled and sent to each Referee.
3. Each Referee should recommend two books. These titles may be selected either out of the list sent in pursuance of rule 4(2) above or by the Referee on his/her own.

## 5. The Jury and its Functions

1. The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be considered by a three-member Jury. The Jury members shall be selected by the President after considering the recommendations in this behalf by the members of the Language Advisory Board concerned.
2. The Akademi shall purchase the books recommended by the Referees in the Preliminary Panel and send them to the Jury members and to the Convener.
3. The Convener shall act as the link between the Jury and the Akademi. He/she will ensure that the meeting of the Jury is conducted properly and satisfactorily and will countersign the report of the Jury. In the absence of the Convener, President may nominate a General Council or an Advisory Board Member to convene the Jury meeting.
4. The Jury members shall, either by consensus or by majority, recommend a book for this award. They may also recommend that, in their opinion, no book is eligible for the Award during the year. All the members have to attend the meeting, however, only in case of emergency he/she may convey his/her views in writing. He/she should be provided with the facility of participating in the discussion over the phone.

## 6. Declaration of the Award

The recommendation of the Jury shall be placed before the Executive Board for formal approval and announcement of the award. The names of the Jury members and the shortlisted books in the final stage shall be made public simultaneously with the announcement of the Award.

## 7. विविध

1. यदि भाषा परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय-सीमा की अनदेखी की जाती है, तो अकादेमी यह मानकर चलेगी कि उसका/उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार-प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादेमी समय-सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढ़ाती हो।

   अकादेमी कार्यालय का प्रशासन समय-सीमा के बारे में निर्णय ले सकता है।
2. कार्यकारी मंडल/अध्यक्ष के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा।
3. यदि पुरस्कार प्रदान किए जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति, पत्नी अथवा किसी क़ानूनी वारिस को दिया जाएगा।
4. परामर्श मंडल के सदस्य, प्रारंभिक पैनल के सदस्य तथा जूरी सदस्य हितों के जुड़ाव से मुक्त होने की घोषणा करेंगे और यह घोषित करेंगे कि वे किसी ऐसे लेखक की पुस्तक की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं जो जन्म से या किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक गठजोड़ के माध्यम से उनसे संबंधित है।

सचिव
साहित्य अकादेमी

## 7. Miscellaneous

1. If the time limit for submission of recommendations is not observed by a member of the Language Advisory Board or by a Referee, the Akademi shall presume that he or she has no recommendation to make and shall proceed accordingly unless, in any particular case, it is in a position to extend the time limit and actually does so.

   The administration of the office of the Akademi may decide about the time limit.
2. The award ceremony shall be held on such date and at such place as the Executive Board/President may decide.
3. In the event of the death of an award-winning author/writer before conferment of the award, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir.
4. The Advisory Board Members, Preliminary Panel Members and the Jury Members shall provide non-conflict of interest declaration and declare that they are not recommending any book by the author who is related to them by birth or through any commercial tie up of any nature.

Secretary
Sahitya Akademi